स्थिति के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा 1007 परमिट पहले ही दिए जा चुके हैं। स्पेशल स्टेज कैरिज परमिट स्कीम के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक किराए-ढांचे वाली लक्ज़री बसें चलाने के लिए निजी प्रचालकों को 100 परमिट दिए जाने का प्रस्ताव है। राज्य परिवहन प्राधिकरण पहले ही इस स्कीम के अंतर्गत 82 परमिट दे चुका है। लक्ज़री बसें चलाने के लिए निजी प्रचालकों को 100 अतिरिक्त परमिट देने हेतु एक अन्य स्कीम राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) इन स्कीमों के अंतर्गत चल रही बसों को, मोटर वाहन अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होता है। परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली यातायात पुलिस का एनफोर्समेंट स्टाफ दिल्ली में इन निजी बसों के विनियमन और प्रचालन पर नजर रख रहे हैं। आशा की जाती है कि इन अतिरिक्त बसों के आ जाने से सड़क पर व्यक्तिगत वाहनों की संख्या में काफी कमी आ जाएगी और इससे वस्तुतः सड़क सुरक्षा में वृद्धि होगी।

Roads in Orissa and Madhya Pradesh

452. SHRIMATI ILA PANDA:
SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the Kilometerage of roads per 100 square km in Orissa and Madhya Pradesh;

(b) what is the National average in this respect;

(c) what is the kilometerage of National Highways, out of this in these two states and to what extent it deviates from the National average; and

(d) what action is being taken to increase the National Highways in these two states?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) The details are as under:—

		Length/100 Sq. Km.	Total length of NH (Kms)
1.	Orissa	1.06	1649
2.	Madhya Pradesh	0.67	2946
3.	All India	1.02	33689

(d) National Highways are declared keeping in view requirements of the country as a whole and not on the basis of any considerations of area/population/ region or State. Moreover, due to limited allocation made available for national Highways in the 8th Plan, it is difficult at this stage to declare any new National Highways in various States including Orissa and Madhya Pradesh.

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को धनराशि दिया जाना

453. **श्री राधाकिशन मालवीय**: क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 92-93 करोड़ रुपये का प्रस्ताव 3 अक्तूबर, 1989 को भेजा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त में से केन्द्रीय सरकार ने केवल पांच कार्यों के लिए 215 लाख रुपये मंजूर किए हैं तथा शेष कार्य के लिए मंजूरी की प्रतीक्षा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार उक्त राशि प्रदान करने का निर्णय कब तक लेगी और यह धनराशि मध्य प्रदेश सरकार को कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ग) जी हां। चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि, जिसके प्रति प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अभी नहीं हुई है, अतः शेष प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(घ) इस समय यह बताना कठिन है कि कब तक केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि हो जाएगी तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी।